न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

शंकरसिंह बनाम [illegible] नागरमलसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज, दावा मु.नं. – 22/2022
18.08.23	पत्रावली पेश हुई। ~~वकुलाय उभय पक्षकारान~~ उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 11 व 43 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल करवाये काफी समय हो चुका है, बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस बहुपक्षीय सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय उभय पक्षकरान की बहस पर सगौर मनन किया। वकुलाय उभय पक्षकरान की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं कर के सीधे ही वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् इस्तकार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 18/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22/2022	2022/38	16.02.2022	18.08.2023

उनवान

1. शंकरसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 68 साल
2. अजीतसिंह पुत्र भंवरसिंह उम्र 49 साल
3. दयालसिंह उम्र 55 साल
4. दलपतसिंह उम्र 50 साल
5. धीरसिंह उम्र 52 साल

पुत्रगण रामचन्द्र सिंह

जाति राजपूत निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

बनाम

1. भगवानसिंह उम्र 40 साल
2. विक्रमसिंह उम्र 35 साल

   पुत्रगण स्व. आनन्दसिंह
3. शायर कंवर पत्नी स्व. आनन्दसिंह उम्र 63 साल
4. चाव कंवर उम्र 70 साल
5. कमलेश कंवर उम्र 41 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

18/08/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

पुत्री करणसिंह

6. तेजसिंह पुत्र गंगासिंह उम्र 60 साल

7. दीपेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह उम्र 33 साल

8. मरूधर कंवर उम्र 58 साल

9. गिरधर कंवर उम्र 55 साल

10. गल्लू कंवर उम्र 42 साल

11. बाई दिव्या कंवर उम्र 38 साल

पुत्रीयां दशरथसिंह

12. वीरसिंह उम्र 48 साल

13. महेन्द्रसिंह उम्र 35 साल

पुत्रगण दशरथसिंह

14. मालसिंह पुत्र सुमेरसिंह उम्र 72 साल

15. प्रेमकंवर पत्नी स्व. मांगूसिंह उम्र 75 साल

16. प्रतापसिह उम्र 50 साल

17. गोकुलसिंह उम्र 47 साल

पुत्रगण मांगसिंह

18. रतनकंवर उम्र 49 साल

19. बाई कंवर उम्र 41 साल

पुत्रीयां सज्जनसिंह

20. धीरसिंह पुत्र सज्जनसिंह उम्र 47 साल

21. महेन्द्रसिंह उम्र 77 साल

22. शंकरसिंह उम्र 72 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

18/08/21

23. रविन्द्रसिंह उम्र 70 साल

पुत्रगण नरेशसिंह

24. श्रवण कंवर उम्र 75 साल

25. गोपाल कंवर उम्र 66 साल

26. चन्दू कंवर उम्र 63 साल

पुत्रियां नरेशसिंह

27. दलीपसिंह उम्र 55 साल

28. भरतसिंह उम्र 49 साल

पुत्रगण मालसिंह पौत्र नरेशसिंह

29. बबली कंवर उम्र 28 साल

30. जसु कंवर उम्र 25 साल

पुत्रीयां मालसिंह पौत्री नरेशसिंह

31. लाखनसिंह पुत्र शेरसिंह उम्र 77 साल

32. भगवानसिंह उम्र 60 साल

33. आनन्दसिंह उम्र 56 साल

34. श्यामसिंह उम्र 51 साल

35. भरतसिंह उम्र 48 साल

पुत्रगण मदनसिंह पौत्र शेरसिंह

36. भंवरी कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह पौत्री [illegible] उम्र 53 साल

37. पुष्पेन्द्र कंवर पत्नी स्व. रघुवीरसिंह [illegible] उम्र 68 साल

38. कर्मवीरसिंह उम्र 40 साल

39. सतवीरसिंह उम्र 38 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

40. धर्मवीरसिंह उम्र 36 साल

41. पदमवीरसिंह उम्र 30 साल

42. दानवीरसिंह उम्र 28 साल

पुत्रगण रघुवीरसिंह पौत्र शेरसिंह

43. बेबी वीर विजय कंवर पुत्री स्व. रघुवीरसिंह पौत्री शेरसिंह उम्र 33 वर्ष

44. सुप्यार कंवर पुत्री इन्द्रसिंह उम्र 68 साल

45. गिरवर सिंह पुत्र लखसिंह पौत्र इन्द्रसिंह उम्र 52 साल

46. कमोद कंवर उम्र 61 साल

47. सरोज कंवर उम्र 48 साल

पुत्रीयां लखसिंह पौत्री इन्द्रसिंह

48. रतनकंवर पुत्री प्रहलादसिंह पौत्री इन्द्रसिंह उम्र 47 साल

49. कमलसिंह उम्र 28 साल

50. अमृतसिंह उम्र 26 साल

पुत्रगण देशराजसिंह पौत्र प्रहलादसिंह प्रपौत्र इन्द्रसिंह

51. मदनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह उम्र 74 साल

52. जीवराजसिंह उम्र 58 साल

53. रणधीरसिंह उम्र 38 साल

पुत्रगण मगनसिंह पौत्र इन्द्रसिंह

54. विनोद कंवर उम्र 48 साल

55. पुष्पा कंवर उम्र 44 साल

56. जनक कंवर उम्र 42 साल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

पुत्रीयां मगनसिंह पौत्री इन्द्रसिंह

57. मूलसिंह पुत्र मानसिंह उम्र 75 साल

58. भवानीसिंह पुत्र मंगेजसिंह उम्र 55 साल

समस्त जाति राजपूत निवासी दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

59. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

60. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अजीतगढ़।

—प्रतिवादीगण —

उपस्थित : –

श्री रामसिंह शेखावत एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 12 ता 17, 20, 21, 27, 31, 35, 39, 41, 44, 45, 48, 49 ता 58 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–59

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार [illegible] वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय [illegible] भूमि खसरा नम्बर 1895, 1899, 1974 कुल [illegible] 300 हेक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीम[illegible]पुर जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक आनन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह एवं

18/08/23

प्रतिवादी संख्या 44 ता 56 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक इन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता मृतक करणसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता मृतक दशरथसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 14 एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के पति–पिता मृतक मांगूसिंह पुत्र रिछपालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 के पिता मृतक सज्जनसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 30 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक नरेशसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 31 ता 43 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक शेरसिंह पुत्र पृथ्वीनाथसिंह के नाम एवं मृतका छोग कंवर पत्नी गोविन्दसिंह के नाम दर्ज है। मृतका छोग कंवर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 57 व 58 है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही खानदान से है एवं उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1895, 1899, 1974 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 हैक्टर पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रिक कृषि भूमियां हैं तथा उक्त कृषि भूमियों में पारिवारिक सैटिलमेन्ट व बाह्मी बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1974 रकबा 0.6200 हैक्टर में 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 2 एवं 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 3 ता 5 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमि की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उपरोक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने एवं दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो [illegible] आश्वासन देते रहे, परन्तु दिनांक 10.02.2021 को इन्कार हो गये एवं वादी[illegible] कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। जिससे वादीकारि[illegible] अतः वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 1974 रकबा 0.6200 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 2 को एवं 1/2

19/08/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा का वादी संख्या 3 ता 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारीसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक आनन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 44 ता 56 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक इन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता मृतक करणसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता मृतक दशरथसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 14 एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के पति–पिता मृतक मांगूसिंह पुत्र रिछपालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 क पिता मृतक सज्जनसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 30 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक नरेशसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 31 ता 43 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक शेरसिंह पुत्र पृथ्वीनाथसिंह एवं मृतका छोग कंवर पत्नी गोविन्दसिंह का नाम हजफ किया जावें एवं खातेदारी उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 60 बैंक का रहननामा हटाया जाकर उक्त भूमि रहन मुक्त की जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 व 4 की पहचान श्री राम सिंह शेखावत एड0 ने की एव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2, 3, 12, 15 ता 16 की पहचान एवं शेष अन्य प्रतिवादी संख्या 6 ता 22 की पहचान श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने कर राजीनामा स्वीकार किया। उपस्थित [illegible] को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुनकर व [illegible] स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 6, 7, 12 ता 17, 20, 21, 27, 3[illegible]35, 39, 41, 44, 45, 48, 49 ता 58 की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

ता 11, 18, 19, 22 ता 26, 28 ता 30, 32 ता 34, 36 ता 38, 40, 42, 43, 46, 47, 59 व 60 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आये आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में अजीत सिंह पुत्र भँवरसिंह, विक्रमसिंह पुत्र आनन्द सिंह, प्रतापसिंह पुत्र मांगूसिह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये, जिनको तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। जिस पर वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, राजीनामा, जवाब दावा, साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1895 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 1890 रकबा 0.3200 है0, खसरा नम्बर 1974 रकबा 0. 6200 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0300 हैक्टर की खातेदारी पक्षकार वादीगण को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 58 के पिता/पति/दादा/दादी/बुजुर्गान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादी के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा द्वारा वादपत्र को स्वीकार्य किये जाने व वादीगण एवं पक्षकारान के मध्य हुये आपसी राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1974 रकबा 0.62 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 2 को एवं 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 3 ता 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक आनन्दसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

10/08/23

सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 44 ता 56 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक सिंह पुत्र भागीरथसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता मृतक सिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 13 के पिता मृतक दशरथसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 14 एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के पति/पिता मृतक मांगूसिंह पुत्र छपालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 क पिता मृतक सज्जनसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 30 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक नरेशसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 31 ता 43 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक शेरसिंह पुत्र पृथ्वीनाथसिंह एवं मृतका छोग कंवर पत्नी गोविन्दसिंह का नाम हजफ किया जावें एवं खातेदारी उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 60 का रहननामा हटाया जाकर उक्त भूमि रहन मुक्त की जावें तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 1895, 1899 पर प्रतिवादी संख्या 60 का रहननामा बदस्तूर रखे जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1974 रकबा 0.62 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 1 को एवं 1/4 हिस्सा का वादी संख्या 2 को एवं 1/2 हिस्सा का वादी संख्या 3 ता 5 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि ... से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक ... एवं प्रतिवादी संख्या 44 ता 56 के पिता–दादा–बुजुर्ग मृतक ... पुत्र भागीरथसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता मृतक ...रणसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 के पिता मृतक दशरथसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 14 एवं प्रतिवादी संख्या 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

18/08/23

(संख्या) 17 के पति/पिता मृतक मांगूसिंह पुत्र रिछपालसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 20 क पिता मृतक सज्जनसिंह पुत्र माधोसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 21 ता 30 के पिता-दादा-बुजुर्ग मृतक नरेशसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 31 ता 43 के पिता-दादा-बुजुर्ग मृतक शेरसिंह पुत्र पृथ्वीनाथसिंह एवं मृतका छोग कंवर पत्नी गोविन्दसिंह का नाम हजफ किया जावें एवं खातेदारी उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त की जावें एवं प्रतिवादी संख्या 60 का रहननामा हटाया जाकर उक्त भूमि रहन मुक्त की जावें तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 1895, 1899 पर प्रतिवादी संख्या 60 का रहननामा बदस्तूर रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

18/08/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक **18.08.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/08/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.26 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested